FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	संगीता पत्नी सुशील कुमार ब्राहम्ण निवासी चितावा गायत्री पत्नी रामनिवास मुकेश कुमार हंसराज पुत्र रामनिवास वगैरह चितावा
राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर	

किस्म मुकदमा प्रार्थना–पत्र धारा 131, R.L.R.Act

प्रार्थना–पत्र नम्बर 95 / 2020 81/2020 **GCMS No. 2020/00189** 2020/00167

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9.10.2020	तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा ग्राम चितावा पटवार हल्का चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान के खसरा नम्बर 674 रकबा 0.49 हैक्टर में से 280 मीटर, खसरा नम्बर 657 रकबा 3.53 हैक्टर में से 140 मीटर, खसरा नम्बर 674 रकबा 0.49 हैक्टर में से 40 मीटर खसरा नम्बर 673 रकबा 0.91 हैक्टर में से 40 मीटर जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, रिपोर्ट पटवारी हल्का 17.08.2020 प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। पटवारी हल्का मौका रिपोर्ट 17.08.2020 अनुसार उपरोक्त भूमि में सह खातेदार अर्जुनलाल पुत्र छगनलाल पुरोहित सा. देह खातेदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के आधार पर मौके पर जाकर जांच की गई तथा नजरी नक्शा में अंकित ए से बी लाल स्याही से रास्ते को दर्शाया गया। परन्तु सहखातेदारान की सहमति मौका रिपोर्ट पर उपलब्ध नही है। अप्रार्थी संगीता की ओर से उनके अधिवक्ता श्री राजेश गुर्जर उपस्थित आये, जिन्होने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि उपरोक्त खसरा नम्बर 674 में कभी भी रस्ता नही रहा है, अर्जुनराम अन्य खातेदारान के साथ खसरा नम्बर 667 673 में संयुक्त रूप से खातेदार दर्ज चला आ रहा है तथा खसरा नम्बर 667 व 673 के उत्तरी तरफ रास्ता पहले से ही कायम चला आ रहा है इस लिये अप्रार्थी की सेपरेट खातेदारी मे से रास्ता नही दिया जावे। उपलब्ध तथ्यों के विवेचन से स्पष्ट है कि प्रकरण धारा 131 आर.एल.आर. एक्ट 1956 का नही [illegible] 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से संबंधित जो स्वयं	

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2020.10.24 12:25:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

संबंधित खातेदार पृथक से प्रार्थना–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अतः प्रार्थना–पत्र धारा 131 आर. एल.आर.एक्ट 1956 साबित नही होने से खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया।

मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2020.10.24 12:25:18 IST
Reason: SelfAttested